

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख हुकम

19.10.2022

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन जाहिर आया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उनके न्यायालय में जैरकर प्रकरण संख्या 23/2015 राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 एवं उसके साथ संलग्न/नथी प्रकरण संख्या 34/2015 राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. उनवान सज्जन सिंह पुत्र भंवर सिंह राणावत वगैरह बनाम ओम सिसोदिया वगैरह की मूल पत्रावलियां न्यायालय हाजा को प्रेषित कर उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा पर अनावश्यक दबाव बनाये जाने संबंधी तथ्य अंकित कर उक्त प्रकरणों को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के तात्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावलिया इस तथ्य के साथ प्रेषित की गयी है कि उन पर विपक्षीगण द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा में पूर्व में पदस्थापित/तात्कालीन पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) का वर्तमान में अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है एवं वर्तमान में नवीन पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पदस्थापित हो गये है। चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के पूर्व/तात्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है अतः पूर्व में उत्पन्न वाद कारण ही समाप्त हो गया है जिससे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा में विचाराधीन उक्त प्रकरणों को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 23/2015 राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 एवं उसके साथ नथी प्रकरण संख्या 34/2015 राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 उनवान सज्जन सिंह पुत्र भंवर सिंह राणावत वगैरह बनाम ओम सिसोदिया वगैरह की मूल पत्रावलियां पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को लौटायी जाकर वर्तमान पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरणों में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई सम्पादित कर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति मय मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष दिनांक 09.11.2022 को पेश हो।

(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर

जि.भीलवाड़ा कलक्टर

भीलवाड़ा